# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री संजीव कुमार, आर ए एस

प्रार्थना पत्र संख्या :— 551 / 2025

उनवान

1.नानगराम शर्मा पुत्र स्व. सुवालाल शर्मा उम्र —70 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी ग्राम छापुडाकंला तहसील —शाहपुरा जिला जयपुर(राज)

—प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील—शाहपुरा जिला जयपुर(राज.)

—अप्रार्थी

उपस्थित:— प्रार्थी अधिवक्ता श्री दीपक शर्मा

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट दुरूस्ती इन्द्राज

आदेश दिनांक 27/5/26

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत पेश किया गया जिसमें हाल आराजी खसरा नं0 750 रकबा 0.40 है0 वाकै ग्राम छापुडाकंला तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.) में स्थित हैं जिसकी खातेदारी में 1/3 हिस्सा प्रार्थी के नाम तथा 522/1333 हिस्सा हरप्रीत पत्नी जसवीर सिंह तथा 1100/3939 हिस्सा ग्यारसी देवी पत्नी शिवपाल के नाम दर्ज हैं प्रार्थी ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय—पत्र दिनांक 24.01.2014 से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया हैं तथा आज भी उक्त भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहा हैं । यह कि दश दिन पूर्व प्रार्थी ने अपने हिस्से की जमीन को विकसित करने के लिए किसान केडिट कार्ड बनवाने के लिए जमाबंदी की नकल प्राप्त की तो पता चला की राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी की जाति गुर्जर लिखी हुई हैं तब प्रार्थी ने पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने कहा की राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के समक्ष जाति दुरूस्ती हेतू प्रार्थना—पत्र पेशकर दुरूस्ती करावओं ,इसलिए प्रार्थी को उक्त प्रार्थना—पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं। उक्त वर्णित भूमि में दर्ज जमाबंदी में प्रार्थी की जाति गुर्जर लिखे होने से प्रार्थी का किसान केडिट कार्ड नही बन पा रहा हैं जिससे प्रार्थी को काफी समस्याओं का सामना करना पड रहा हैं जबकि प्रार्थी की क्रय रजिस्टर्ड विक्रय—पत्र में जाति ब्राहमण(शर्मा) दर्ज हैं । प्रार्थी की जाति जमाबंदी में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी को राजस्थान सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा कृषको के लिए निर्धारित कृषक कल्याण योजनाओं व किसान केड्रिट कार्ड की ऋण योजनाओं से वंचित होना पडता हैं इस कारण माननीय न्यायालय के समक्ष दुरूस्ती हेतु प्रार्थना—पत्र पेश करना अति आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थीगण संख्या 1 की तामील हो चुकी हैं बावजूद तामील अप्राथी अनुपस्थित ना ही कोई जवाब पेश किया हैं अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई ।वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना—पत्र 136 एलआरएक्ट में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना—पत्र 136 एलआरएक्ट स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया कि प्रार्थी को सूना गया जिसमें प्रार्थी को जमाबंदी में जाति गलत दर्ज होने के कारण राजस्थान सरकार /केन्द्र सरकार द्वारा कृषको के लिए निर्धारित कृषक कल्याण योजनाओं व किसान केड्रिट कार्ड की ऋण योजनाओं से वंचित होना पडता हैं ।

प्रार्थी की उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र दिनांक 24.01.2014 में जाति ब्राह्मण दर्ज है । अतः राजहित प्रभावित ना हो तो भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी की जाति गुर्जर के स्थान पर ब्राहमण दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

**आदेश**

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नं0 750 रकबा 0.40 है0 हिस्सा 1/3 वाकै ग्राम छापुडाकंला तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.) में स्थित खातेदारी भूमि में यदि राजहित प्राभावित ना हो तो प्रार्थी की जाति गुर्जर के स्थान पर ब्राहमण दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं ।

तहसीलदार शाहपुरा को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार पालना करना सुनिश्चत करे । पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27/5/26 को सरै इजलास सुनाया गया ।

( संजीव कुमार )
उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा
जिला जयपुर